अध्याय - 1
सामान्य क्षेत्र एवं आर्थिक क्षेत्र पर प्रस्तावना

1.1 प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) का यह प्रतिवेदन चयनित कार्यक्रमों, योजनाओं, विभागों इत्यादि की विषयक लेखापरीक्षा, मुख्य नियंत्रक अधिकारी (सीसीओ) आधारित लेखापरीक्षा तथा रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के सामान्य क्षेत्र तथा आर्थिक क्षेत्र के सरकारी विभागों तथा स्वायत्त निकायों के लेन-देन की अनुपालना लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों से संबंधित है ।

अनुपालना लेखापरीक्षा लेखापरीक्षित इकाईयों के व्यय, प्राप्तियों, परिसंपत्तियों एवं देयताओं से संबंधित लेन-देन की जाँच से संबंधित है जिसमें भारत के संविधान के प्रावधानों, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों एवं आदेशों तथा लागू कानून नियम एवं विनियम की अनुपालना सुनिश्चित रूप से की जा रही है ।

सीसीओ आधारित लेखापरीक्षा में सरकारी विभागों, इसके स्वायत्त निकायों एवं उनकी इकाईयों के प्रचालनीय निष्पादन को ऊपर से नीचे संवीक्षा तथा वित्तीय लेखा परीक्षा तथा अनुपालना लेखापरीक्षा सम्मिलित है ।

प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को विधायिका के ध्यान में लाना है । लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार प्रतिवेदन को कार्यान्वयन स्तर पर लेन-देन की प्रकृति, परिणाम तथा मात्रा के अनुरूप होना चाहिए । लेखापरीक्षा परिणाम कार्यकारी को उपचारी कार्रवाई हेतु सक्षम बनाते है ताकि नीतियाँ एवं निर्देशों को तैयार किया जाए जिनसे संगठन के कार्य निष्पादन में सुधार हो, इस प्रकार, बेहतर प्रशासन में योगदान हो सके ।

यह अध्याय लेखापरीक्षा की मात्रा तथा योजना को वर्णित करते हुए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के सार एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुपालन का संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत करता है । इस प्रतिवेदन के **अध्याय 2** में दिल्ली पुलिस (यातायात तथा संचार) की विषयक लेखापरीक्षा एवं लो.नि.वि. द्वारा कार्यों के कार्यान्वयन में देरी तथा विचलन से संबंधित अभ्युक्तियाँ शामिल है । **अध्याय 3** में सरकारी विभागों के लेनदेन की लेखापरीक्षा से संबंधित अभ्युक्तियाँ हैं तथा **अध्याय 4** में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के परिवहन विभाग तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का प्रबंध करने में खाद्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग की भूमिका की सी.सी.ओ. आधारित लेखापरीक्षा से उत्पन्न अभ्युक्तियाँ शामिल है ।

1.2 लेखापरीक्षित इकाईयों की रूपरेखा

लेखापरीक्षा उद्देश्य के लिए सरकारी विभागों को सामाजिक क्षेत्र, सामान्य क्षेत्र, राजस्व क्षेत्र तथा आर्थिक क्षेत्र (गैस-पीएसयू) तथा सभी क्षेत्रों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में वर्गीकृत किया गया । यह प्रतिवेदन सामान्य क्षेत्र तथा आर्थिक क्षेत्र (गैस-पीएसयू) की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को शामिल करता है ।

राज्य में सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत 43 विभाग हैं प्रत्येक की अध्यक्षता एक मुख्य सचिव /सचिव करता है, जिनकी सहायता के लिए निदेशक/ आयुक्त अथवा अधीनस्थ अधिकारी होते है । सामान्य क्षेत्र तथा आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत 1132 इकाईयाँ हैं, जो कि प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं । 2011-12 के दौरान लेखापरीक्षा में कुल 123 इकाईयाँ शामिल की गईं ।

1.3 राज्य सरकार की व्यय रूपरेखा

वर्ष 2011-12 के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का कुल व्यय पूँजीगत व्यय तथा अनुदानों को शामिल करते हुए ₹ 21969.13 करोड़ था । इस व्यय से सामान्य सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं पर ₹ 6519.46 करोड़ का व्यय हुआ जो कि रा.रा.क्षे.दि.स. के कुल व्यय का 30 *प्रतिशत* था । पिछले पाँच वर्षों अर्थात् 2007-08 से 2011-12 में सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं पर किए गए व्यय का एक तुलनात्मक विवरण राज्य वित्त (रा.रा.क्षे.दि.स.) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अध्याय-I में दिया गया है ।

1.4 लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार

नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षा का प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य,शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 से प्राप्त हुआ है । रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. (डीपीसी)अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत की जाती है । रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के विभागों के अंतर्गत दो स्वायत्त निकायों[1] के मामलों में नि.म.ले.प. मुख्य लेखापरीक्षक है, जिनकी लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. (डीपीसी) अधिनियम की धारा 19(3) तथा 20(1) के अंतर्गत की जाती है । इसके अतिरिक्त, नि.म.ले.प. 11 अन्य स्वायत्त निकायों की पूरक लेखापरीक्षा नि.म.ले.प.(डीपीसी) अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत करता है, जिनको रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा मुख्य रूप से निधियाँ प्राप्त होती है । लेखापरीक्षा के लिए सिद्धान्तों तथा प्रक्रियाओं का निर्धारण लेखापरीक्षा मानकों तथा नि.म.ले.प. द्वारा जारी लेखाओं तथा लेखापरीक्षा के नियमन, 2007 में किया गया है ।

[1] दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण एवं दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

1.5 प्र.म.ले.(लेखापरीक्षा), दिल्ली के कार्यालय की संगठनात्मक संरचना

नि.न.ले.प. के निर्देशों के अंतर्गत, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली राज्य सरकार के विभागों, स्वायत्त निकायों तथा सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा करता है । प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को उनके कार्यालय कार्यों में सहायता देने के लिए वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार, लेखापरीक्षा अधिकारी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा सहायक कर्मचारी होते है ।

1.6 योजना एवं लेखापरीक्षा का संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न सरकारी विभागों/संस्थाओं/स्वायत्त निकायों तथा योजनाओं/परियोजनाओं आदि के व्यय निर्णायक मोड़/गतिविधियों की जटिलता प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के स्तर पर आंतरिक नियंत्रण के मूल्यवान और हितधारकों की चिन्ताओं के आधार पर जोखिम आकलन के साथ प्रारंभ होती है । पिछले लेखा परीक्षा निष्कर्ष को इस अभ्यास के लिए एक निवेश के रूप में माना जाता है ।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा के पूरा होने के बाद निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षा निष्कर्ष युक्त इकाई / विभाग के प्रमुख को जारी किए जाते है । इकाईयों को निरीक्षण प्रतिवेदन के प्राप्ति के एक महीने के भीतर लेखापरीक्षा निष्कर्षों के लिए जवाब प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया जाता है । जब भी उत्तर प्राप्त होता है लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निपटान किया जाता है या अनुपालना के लिए आगे की कार्यवाही की सलाह दी जाती है । इन निरीक्षण प्रतिवेदनों के महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को नि.म.ले.प. की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किए जाने की कार्यवाही की जाती है ।

वर्ष 2011-12 के दौरान विभिन्न विभागों / संगठनों की 1132 इकाईयों में से 123 इकाईयों की अनुपालना लेखापरीक्षा 1193 पार्टी दिनों के उपयोग से किया गया ।

1.7 लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

वर्तमान रिपोर्ट में दो विषयक आधारित लेखापरीक्षा, तीन पैरा अनुपालना लेखापरीक्षा के तथा दो सीसीओ आधारित लेखापरीक्षा शामिल है । इन लेखापरीक्षा के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित पैराग्राफ में दिए गए हैं ।

1.7.1 दिल्ली पुलिस (यातायात और संचार)की विषयक लेखापरीक्षा

दिल्ली पुलिस दिल्ली में एक मात्र कानून प्रवर्तन संगठन है जो दिल्ली के 1.5 करोड़ लोगों की सुरक्षा तथा हित सुनिश्चित करती है । विषयक लेखापरीक्षा में दो कार्यात्मक शाखाओं (यातायात एवं संचार कक्ष) पर ध्यान केन्द्रित किया गया है । दिल्ली पुलिस की संचार शाखा के आधुनिकीकरण के लिए निर्धारित धन का ज्यादातर उपयोग नहीं

किया गया और इस तरह दिल्ली पुलिस द्वारा संचार तंत्र का आधुनिकीकरण नहीं किया जा सका ।

₹ 7.50 करोड़ के निष्फल व्यय के अलावा, कमजोर योजना के कारण मार्च 2012 तक भी दिल्ली पुलिस इन्टेलिजेन्ट यातायात व्यवस्था को शुरू नहीं कर पाई जिससे नागरिकों को विश्वस्तरीय यातायात व्यवस्था के लाभ से वंचित होना पड़ा । दिल्ली पुलिस साइबर राजमार्ग परियोजना को लागू करने में विफल रही, तथा साथ ही इसने आंशिक रूप से स्थापित बुनियादी ढांचे का भी उपयोग नहीं किया । दिल्ली पुलिस ने सड़क सुरक्षा योजना की पर्याप्त निगरानी सुनिश्चित नहीं की जिससे ₹ 4.33 करोड़ का धन अवरूद्ध रहा । आगे हर्जाना न लगाने के कारण दिल्ली पुलिस ने अपने वित्तीय हितों की रक्षा नहीं की ।

(अध्याय 2.1)

1.7.2 कार्यों के निष्पादन में देरी तथा विचलन पर पीडब्ल्यूडी की विषयक लेखापरीक्षा

107 नमूना जाँच किए गये कार्यों के पूरा होने में 48 माह तक की देरी हुई थी । कार्यों के पूरा होने में देरी के लिए प्रमुख कारणों में से कुछ थे स्थल रूपरेखा की अनुपलब्धता, गाहक विभाग के साथ समन्वयन की कमी । पीडब्ल्यूडी ने अनुबंध की सामान्य शर्तों का पालन नहीं किया जैसे ठेकेदारों द्वारा ₹ 11.19 करोड़ के कार्यों को पूरा करने में देरी के लिए न तो ठेकेदारों से मुआवजा ही वसूल किया गया ओर न ही लक्ष्यनुसार कार्य की प्रगति सुनिश्चित करने में ठेकेदार की असफलता के कारण कोई भुगतान रोका गया । हालांकि पाँच भवन निर्माण परियोजनाओं में सलाहकार की ओर से काफी देरी थी लोक निर्माण विभाग ने समझौते में दंड खंड के बावजूद मुआवजा नहीं लगाया।

61 कार्यों के कुल विचलन ₹ 13.38 करोड़ के थे जो मूल अनुमानित लागत के 12 *प्रतिशत* तथा 159 *प्रतिशत* के बीच थे । 39 कार्यों में ₹ 3.31 करोड़ के विचलन (डेविएशन) के लिए कोई विशेष कारण दर्ज नहीं थे । संकेतक पट्टी और लिफ्टों के उत्थान के लिये ₹ 4.95 करोड़ मूल्य के 19 कार्यों के लिए निर्माताओं/अधिकृत डीलरों/विशेष एजेंसियों से निविदाएं आमंत्रित की गई तथा कार्य को विस्तृत अनुमानों के प्रावधान के बिना मरम्मत एवं रखरखाव के तहत किया गया न कि मुख्य काम के अंतर्गत ।

(अध्याय 2.2)

1.7.3 अनुपालना लेखापरीक्षा

समीक्षात्मक क्षेत्रों के बारे में लेखापरीक्षा ने कई प्रभावी कमियां बताई है जो सरकारी विभागों/ संगठनों के प्रभावी कामकाज पर असर डालते है । ये मोटे तौर पर निम्न रूप से वर्गीकृत की जाती है ।

(क) नियमों एवं विनियमों की गैर अनुपालना;

(ख) औचित्य के प्रति लेखापरीक्षा तथा पर्याप्त औचित्य के बगैर व्यय के मामलें; तथा

(ग) निरीक्षण/ शासन की विफलता ।

क. नियमों एवं विनियमों की गैर अनुपालना

- लो.नि.वि. द्वारा इसकी कार्य संविदा में मूल्य परिवर्तन उपबन्ध जो संविदा की सामान्य शर्तों के अनुरूप नहीं है,को अपनाने के कारण दो कार्यों में ₹ 1.45 करोड़ का अनावश्यक व्यय हुआ ।

(पैराग्राफ 3.1.1)

ख. औचित्य के प्रति लेखापरीक्षा/औचित्य के बगैर व्यय

- 'एक परियोजना नजफगढ़ के नाले के साथ वर्तमान जलबद्ध मैकाडम रोड का ढांसा बाँध से काकरौला रेगुलेटर तक उन्नयन' पर सरकार के निर्णय में असंगति से संविदा का निरसन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 86.48 लाख का अनावश्यक अतिरिक्त व्यय हुआ ।

(पैराग्राफ 3.2.1)

ग. निरीक्षण / शासन की विफलता

- ₹ 0.73 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ जिससे डॉ.बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल को इतनी ही राशि के लागत के बाद भी विद्युत बिलों में प्रत्याशित बचत के लाभों से वंचित रहना पड़ा ।

(पैराग्राफ 3.3.1)

1.7.4 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की सीसीओ आधारित लेखापरीक्षा

मल्टी मॉडल ट्रांजिट नेटवर्क को लागू करने के लिये परिवहन विभाग ने दिल्ली इंटिग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (डीआईएमटीएस), एक एसपीवी, जो कि आरंभ में कम्पनी अधिनियम में पब्लिक लिमिटेड कम्पनी थी तथा बाद में औधोगिक विकास वित्तीय निगम लिमिटेड (आईडीएफसी) के साथ संयुत उपक्रम (जेवी) बनाई गई । परिवहन विभाग (प.वि.) ने एक निजी कम्पनी को विशेष व्यवहार के तहत काम देना जारी रखा जो कि स्थापित वित्तीय नियमों का उल्लंघन है प.वि.ने डीआईएमटीएस का प्रस्ताव बिना औचित्य, वित्तीय और तकनीकी जाँच किये बिना स्वीकार किया ।

प.वि. ने अच्छी तरह तैयार योजना और वित्त विभाग या विधायिका की सहमति के बिना 'निजी बस वाहनों के निगमनीकरण (क्लस्टर बस स्कीम)' का कार्यन्वयन किया । सम्पन्न कार्य के आधार पर वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त किया ।

मैसर्स इएसपी को अनुचित लाभ दिया गया जबकि न तो वे समय पर परियोजनाओं को पूर्ण कर सके न ही विश्वसनीय परीक्षण प्रदान कर सके जिससे वाहन मालिकों पर अनुचित बोझ पड़ा ।

मैसर्स इएसपी को टीपीटीआई का काम नामांकन के आधार पर आबंटित करना अनियमित था और इसमें टीपीटीआई के लिए अप्राधिकृत शुल्क उद्ग्रहण करना शामिल था ।

डीटीआईडीसी ने अपने निर्माण के दो वर्षों बाद भी उचित रूप से कार्य करना और योजनाओं का उचित रूप से कार्यान्वयन प्रारंभ नहीं किया । डीआईएमटीएस सहित परिवहन विभाग के कार्यत्मक आच्छादन को विशिष्ट निगम के निर्माण में आश्वासन नहीं दिया गया ।

(अध्याय 4.1)

1.7.5 आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का प्रबंध करने में खाद्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग की भूमिका पर सीसीओ आधारित लेखापरीक्षा

विभाग ने एपीएल श्रेणी (अमुद्रांकित) के तहत लाभार्थियों को राशन कार्ड जारी किए थे जिन्हे एसएफ्ए तथा मिट्टी का तेल प्रदान नहीं किया गया था । लाभार्थियों की पहचान के लिये कोई यर्थातवादी लक्ष्य विभाग द्वारा नहीं अपनाया गया । यहां तक कि 12 वर्ष से अधिक वर्ष बीत जाने के बाद भी, विभाग, भारत सरकार द्वारा मार्च 2000 में पेश आंकड़ों पर निर्भर था तथा वर्ष के दौरान नए कार्ड जारी करने के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी ।

लाभार्थियों की संख्या के आधार पर दर्शाई गई एसएफए की अव्यावहारिकता के कारण विभाग भारत सरकार द्वारा आवंटित मात्राओं का पूर्ण उपयोग नहीं कर सका ।

लाभार्थियों की संख्या के आधार पर मानको से अधिक एफपीएस/केओडी का होना, अपर्याप्त विक्रेता सीमांत मूल्य तथा एफपीएस तथा लाभार्थियों की कीमत पर परिवहन प्रभारों की अनियमित वृद्धि के साथ-साथ वित्तीय रिटर्नों को बढ़ाने हेतु नितिगत निर्णयों पर अनुवर्ती कार्यवाही न करने से अजीवनक्षम संचालन परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई जिससे एफपीएस/केओडी के मालिकों द्वारा भ्रष्ट तरीके अपनाने तथा व्यवसाय बंद कर देने के खतरे उत्पन्न होते हैं ।

(अध्याय 4.2)

1.8 लेखापरीक्षा के दृष्टान्त से वसूली

राज्य सरकार के विभागों के खातों की नमूना जाँच परीक्षण के दौरान जो वसूलियाँ ध्यान में आई वह आगे की जाँच पड़ताल के लिए निरीक्षण प्रतिवेदन (नि. प्र.) के माध्यम से अतिरिक्त भुगतान के मामलों की सूचना सहित विभागों /राज्य सरकार को भेजी तथा वसूली लेखापरीक्षा के तहत की गई।

2011-12 के दौरान लेखापरीक्षा की विभागों द्वारा स्वीकृत की गई वसूलियों का विवरण और प्रभावित वसूलियाँ **तालिका 1.1** में दी गई है:

तालिका 1.1 : लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर की गई वसूलियाँ

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	2011-12 में बतायी गई वसूली	2011-12 के दौरान स्वीकृत वसूली	2011-12 के दौरान प्रभावित वसूली
सामान्य क्षेत्र विभाग	4.45	4.45	12.23
आर्थिक क्षेत्र विभाग	0.16	0.16	0.14
कुल	4.61	4.61	12.37

1.9 लेखापरीक्षा के प्रति उत्तर का अभाव

वर्ष 2011-12 के दौरान निरीक्षण प्रतिवेदन (आई आर) में निहित विभागों से संबंधित पैराग्राफ के विषय में कोई लेखापरीक्षा समिति की बैठक नहीं हुई जिस वजह से किसी भी लेखापरीक्षा पैरा का निपटान नहीं किया जा सका ।

31 मार्च 2012 के अंत मे 774 निरीक्षण प्रतिवेदनो मे शामिल 2855 पैरे बकाया थे जिसका विवरण **तालिका :1.2** में प्रस्तुत है:

तालिका 1.2 : आई आर एवं पैरों की स्थिति

ओपनिंग बैलेंस 1.4.2011		वर्ष के दौरान जमा		वर्ष के दौरान निपटान		31 मार्च 2012 को शेष	
निरीक्षण प्रतिवेदनों की सं.	पैराग्राफों की संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदनों की सं.	पैराग्राफों की संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदनों की सं.	पैराग्राफों की संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदनों की सं.	पैराग्राफों की संख्या
728	2671	100	576	54	392	774	2855

लेखापरीक्षा में बताए जाने के बावजूद गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और सरकार को नुकसान की बड़ी संख्या के पैराग्राफ का लंबित रहना सरकारी विभागों की लेखापरीक्षा के प्रति प्रतिक्रिया की कमी का संकेत है ।

सरकार को इन मामलों को देखना चाहिए और प्रणाली सुधार के लिए एक समय बद्ध तरीके से लेखापरीक्षा टिप्पणियों के लिए उचित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करनी चाहिये ।

1.10 विभागों की लेखापरीक्षा सामग्री पर प्रतिक्रिया

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित मसौदा लेखापरीक्षा पैराग्राफ प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा संबंधित विभाग के

प्रधान सचिवों / सचिवों को भेजा गया है और उनका ध्यान लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर आकर्षित करते हुए छः सप्ताह के भीतर उनकी प्रतिक्रिया भेजने का अनुरोध किया । सरकार/ विभागों से जवाब न मिलने के तथ्य का लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल प्रत्येक अनुच्छेद के अंत में संकेत दिया गया है ।

तीन मसौदा पैराग्राफ और दो मुख्य नियंत्रण अधिकारी (सीसीओ) पर आधारित लेखापरीक्षा और दो विषयक (थीमेटिक) ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 31 मार्च 2012 के, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सामान्य क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र) रिपोर्ट में शामिल किए जाने का प्रस्ताव संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को मार्च 2012 और फरवरी 2013 के बीच भेजा गया था । विभागों के प्रधान सचिवों / सचिवों ने तीन पैराग्राफ, दो विषयक लेखापरीक्षा, पैराग्राफ और एक सीसीओ आधारित लेखापरीक्षा के संबंध में जवाब नहीं भेजा । इन पैराग्राफों को संबंधित विभाग के प्रधान सचिवों / सचिवों को प्रतिक्रिया के बिना रिपोर्ट के अध्याय-2 और 3 में शामिल किया गया है । हालांकि लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख का जवाब जहां भी प्राप्त हुआ वह उपयुक्त लेखापरीक्षा टिप्पणी के साथ रिपोर्ट में शामिल किया गया है ।

1.11 लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई

दिसम्बर 2012 तक बकाया पैराग्राफ के एक्शन टेकन नोट्स, जो सामान्य क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विभागों से संबंधित है और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल **अनुलग्नक 1.1** में विवरण की समीक्षा से पता चलता है कि दिसम्बर 2012 क 56 एटीएन लंबित थे ।